

62

निगरानी प्रकरण क्र. :/2013

प्रस्तुति दिनांक :/08/2013

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
मध्यप्रदेश के सगक्ष

R. 3441-II/13

1. दिनेश कुमार पिता श्री मंगलप्रसाद मालवीय,
निवासी-147-सी, विष्णुपुरी एनेक्स,
इन्दौर (म.प्र.)

2. आशुतोष पिता श्री दीनदयाल पाण्डे,
निवासी-46, जानकी नगर मेन,
इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थीगण



विरुद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर, इन्दौर
जिला इन्दौर (म.प्र.), प्रशासनिक संकुल,
मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

2. तहसीलदार महोदय, इन्दौर
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,
इन्दौर (म.प्र.)

3. जगन्नाथ पिता श्री तुलसीराम जाटव,
निवासी-ग्राम मुंडला दोस्तदार तहसील व
जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण



निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला इन्दौर (श्री आकाश त्रिपाठी)
के द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ-74/2012-13 में दिनांक
21/06/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी
निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

श्री एच. एस. प्रसाद
उप-निरीक्षक (आ.स.)
जिला इन्दौर
दिनांक 29/8/13



(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3441-दो/13

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	